



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 260853

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '67 किछ्छा निर्वाचन क्षेत्र' से निर्वाचन हेतु रिटनिंग आफीसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व हस्ताक्षरित संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के अनुसार है।

केसर लाल

पुत्र स्व0 श्री जिया लाल

निवासी गॉधी भवन कालौनी

मकान नं0 11/542, कृषि वि0 वि0 पंतनगर

तह0 किछ्छा, जिला उधमसिहनगर

12/11/2012
Rajeshwar

प्रलप 26
(नियम 4क देखिए)
निर्वाचन क्षेत्र से

6.7 किटदा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

6.7 किटदा निर्वाचन सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं किटदा लाल पुत्र / पुत्री / पत्नी रुद्र प्रिया लाल आयु ५५ वर्ष
जो ग्रामीण भौतिकी में नियम 4का पन्ननम् का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1. मैं ऐसे दिसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसके सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अनियम 6के द्वारा किसी अपराध(अपराधों)का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगा)

- (I) गामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) झज्जरनगर जिला (जिले) झज्जरनगर राज्य झज्जराखड़
- (III) सांघनिक अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.
- (IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई
- (V) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया था
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं

2. गुणों किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए अभ्यर्थी को इसका ग्रहण है / नहीं रहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अग्रिमाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष रहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) गामला यम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं
- (II) न्यायालय जिसने दंडित किया है
- (III) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (IV) सांघनिक अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.
- (V) तारीख (तारीखों) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं

स्थान:- किटदा

तारीख:- ११/०१/२०२२

अग्रिमाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नागित अग्रिमाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतवेस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सुदृढ़ है और इसका कोई भाग गिराया नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

Certified that Smt. रखीन पर अर्जि तारीख, 2022, 11/01/2022 को सत्यापित किया।

Swtc: ed & Ver. to the Contents of

this Affidavit